कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

//अंतिम सार्वजनिक सूचना//

क्र./न.नि.भि./भ.अ./५२०/2026

भिलाई, दिनांक 02/07/2026

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के पत्र क्रमांक 411 दिनांक 24.04.2010 एवं पत्र क्रमांक 6676 दिनांक 27.06.2014 के माध्यम से ग्राम कोहका, प.ह.नं. 19, खसरा क्रमांक 56/1, 56/12 कुल रकबा 1.85 हेक्टयर पर देवी मैय्या बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स, पुरानी बस्ती कोहका द्वारा प्रस्तावित देवी मैय्या बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स कॉलोनी हेतु आवासीय (भूखण्डीय) विकास अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत विकास अनुज्ञा में दर्शित शर्तो तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन एवं शर्ते) नियम, 1998 के नियम 10 में दर्शित प्रावधान अनुसार देवी मैय्या बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स द्वारा कमजोर आय वर्ग (EWS) हेतु कुल योजना भूमि का 15% रकबा अर्थात 29894.00 वर्गफीट भूमि आरक्षित रखा जाना था, जिसे देवी मैय्या बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स, पुरानी बस्ती कोहका द्वारा आज दिनांक तक नगरपालिक निगम भिलाई के नाम पर पंजीकृत नहीं कराया गया है और स्वीकृत विकास अनुज्ञा अनुसार मूलभूत सुविधाओं का विकास भी नहीं कराया गया है।

इस प्रकार देवी मैय्या बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन एवं शर्ते) नियम, 1998 सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्ते) नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिस पर पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 02.06.2010, 04.06.2010, 17.06.2010, 23.07.2010, 09.08.2010, 04.05.2019 का संदर्भ देते हुए इस कार्यालय द्वारा सूचना पत्र क्रमांक सात/दो/भ.अ./2026/1257 भिलाई दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका कोई जवाब प्राप्त नही होने एवं सुसंगत नियमों के निरंतर उल्लंघन से उपरोक्त कॉलोनी, अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–एफ (2) में प्रावधान किया गया है कि **"आयुक्त, अवैध कालोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करने के प्रयोजन के लिये स्थानीय समाचार पत्रों में 3 बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, उक्त क्रम में प्रथम सार्वजनिक सूचना क्रमांक 201 दिनांक 22.05.2026, द्वितीय सार्वजनिक सूचना क्रमांक 308 दिनांक 10.06.2026 को प्रकाशन किया गया है। ऐसी सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कॉलोनी निर्माण करने वाले या भू–खण्ड धारक से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आयुक्त द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो आयुक्त ऐसी भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करेगा और उस क्षेत्र के लिये योजना बनायेगा तथा उसे ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तो के अध्यधीन विकसित करेगा जैसी कि विहित किया जाये।"**

उपरोक्त तथ्यात्मक/वैधानिक स्थितियों पर समुचित विचारोपरान्त नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा देवी मैय्या बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स द्वारा ग्राम कोहका, प.ह.नं. 19, खसरा क्रमांक 56/1, 56/12 कुल रकबा 1.85 हेक्टयर भूमि में विकसित शीतला कॉलोनी एवं कॉलोनी में EWS हेतु आरक्षित भूमि, रकबा 29894.00 वर्गफीट का प्रबंध उपरोक्त अधिनियम 1956 की धारा 292–एफ (2) के अधीन अधिग्रहित किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कॉलोनी/भूमि का प्रबंध निगम द्वारा अधिग्रहित किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 04 में स्वयं या प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
भिलाई

क्रमशः.....02

पृ. क्र./न.नि.भि./भ.अ./421 /2026 भिलाई, दिनांक 02/07/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला–दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जोन आयुक्त, जोन क्र. 01–नेहरू नगर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यालयीन सूचना पटल।
7. मेसर्स देवी मैय्या बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स, पुरानी बस्ती कोहका, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
भिलाई